

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
04/2024

दायर दिनांक
09.01.2024

निर्णय दिनांक
18.12.2024

1. लोबचन्द पिता रूपा जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. भगवान पिता शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भैरूलाल पिता गुलाब जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. शंकरलाल पिता गुलाब जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. शंकरी पत्नि माधुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
5. डालचन्द पिता माधुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
6. गणेश लाल पिता गेहरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट
एक तरफा

प्रार्थी
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोदियाना पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 112 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 34, 35, 36, 41, 42 कुल किता 5 कुल रकबा 1.73 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 6 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 4 का नाम डिलीट किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से विलोपित किया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 5 के विरुद्ध वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर



सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वारते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा गोदियाना पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 112 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 34, 35, 36, 41, 42 कुल किता 5 कुल रकबा 1.73 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 पाण्डोली को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन
कपासन जिला-चित्तौडगढ़